रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 638] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 2, 2014/अग्रहायण 11, 1936
No. 638] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 2, 2014/AGARAHAYANA 11, 1936

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 2014

सा.का.नि. 858(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और सुपारी और मसाला विकास निदेशालय (समूह 'ग' और समूह 'घ' पद) भर्ती नियम, 1968 को जहाँ तक उनका संबंध तकनीकी सहायक, विपणन सहायक, सांख्यिकीय सहायक, प्रचार सहायक, कंप्यूटर, कलाकार फोटोग्राफर, कनिष्ठ आशुलिपिक, उच्च श्रेणी लिपिक, अवर श्रेणी लिपिक, जेस्टेटनर प्रचालक, ड्राइवर, दफ्तरी, चपरासी, चौकीदार तथा माली के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, सुपारी और मसाला विकास निदेशालय में समूह 'ग' पदो पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ. -

(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग, सुपारी और मसाला विकास निदेशालय, (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2014 है।

(ii) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **लागू होना.** - ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. **पद-संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.** – उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमो से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अर्हताएं आदि. – उक्त पदो पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

5. निरर्हता. - वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदो मे से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:-

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता हैं कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति. - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वाराशिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृति. - इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन / वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
तकनीकी सहायक	3* (2014) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता हैं)।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह, 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड -1, (5,200 - 20,200 रू.) + ग्रेड वेतन 2800 रू.	अचयन	25 वर्ष तक (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवको के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती हैं)। टिप्पण:- आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नियत की जाए।	अनिवार्य: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविधालय या से कृषि या उधान कृषि में डिग्री या समतुल्य। वांछनीय: कृषि फसलो से संबंधित तकनीकी विषयो मे अधिमानत: तीन वर्ष का प्रारूपण टिप्पण आदि का अनुभव। टिप्पण:1. अर्हताएं कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा मे शिथिल की जा सकती है। 2. अनुभव संबंधी अर्हताएं कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियो और अनुसूचित जनजातियो के अभ्यर्थियों की दशा मे तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायो के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या मे उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा कि अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदो की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा मे वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जायेगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने मे किन परिस्थितियो मे संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा
8	9	10	11	12	13
नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	(1) 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा (2) 50 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	प्रोन्नति : ऐसे उच्च श्रेणी लिपिक या आशुलिपिक ग्रेड-।। जिन्होने संबंधित ग्रेड में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की है। प्रतिनियुक्ति: केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे है; या (।।) जिन्होने वेतन बैंड-1 मे 5,200-20,200 रू. ग्रेड वेतन 2400 रू. या समतुल्य मे मूल काडर या विभाग मे नियुक्ति के पश्चात पाँच वर्ष की नियमित सेवा की है। (ख) जो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविधालय से कृषि या उधान कृषि में डिग्री या समतुल्य रखते हैं।	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति और संपुष्टि पर विचार करने लिए) 1. निदेशक, सुपारी और मसाला विकास निदेशालय – अध्यक्ष 2. उपनिदेशक, (प्रशासन का प्रभारी), सुपारी और मसाला विकास निदेशालय – सदस्य 3. स्थानीय रूप से अवस्थित केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य कार्यालय का समूह 'क' अधिकारी - सदस्य	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7	8	9
विपणन सहायक	3* (2014) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1, 5,200 -20,200 रू. + ग्रेड वेतन 2800रू.	अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

10	11	12	13
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	प्रोन्नतिः ऐसे उच्च श्रेणी लिपिक जिन्होने उस ग्रेड में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की है। प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार के अधीन अधिकारी (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सद्रश पद धारण कर रहे हैं ; या (ii) जिन्होने वेतन बैंड -1 मे 5,200-20,200 धन ग्रेड वेतन 2400 रू. या समतुल्य मे मूल काडर और विभाग मे नियुक्ति के पश्चात पाँच वर्ष की नियमित सेवा की है। (ख) किसी मान्यता प्रास विश्वविधालय से बागवानी या कृषि मे डिग्री या समतुल्य रखते है।	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) 1. निदेशक, सुपारी और मसाला विकास निदेशालय – अध्यक्ष 2. उपनिदेशक, (प्रशासन का प्रभारी), सुपारी और मसाला विकास निदेशालय – सदस्य 3. स्थानीय रूप से अवस्थित केन्द्रीय	लागू नहीं होता

		सरकार के किसी अन्य कार्यालय का समूह 'क' अधिकारी - सदस्य	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
सांख्यिकीय सहायक	1* (2014) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1 (5,200 - 20,200 रू.) + ग्रेड वेतन 2800 रू.	अचयन	25 वर्ष तक : (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवको के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती हैं) टिप्पण : आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नियत की जाए।	अनिवार्य: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविधालय से गणित या सांख्यिकी या अर्धशास्त्र मे डिग्री या समतुल्य । वांछनीय: सांख्यिकीय डेटा के संग्रहण, संकलन और विश्लेषण में व्यौहार तीन वर्ष का अनुभव। टिप्पण: 1. अर्हताए कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा मे शिथिल की जा सकती हैं। 2. अनुभव संबंधी अर्हताएं कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियो और अनुसूचित जनजातियो के अभ्यर्थियों की दशा मे तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग की यह राय हैं कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायो के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या मे उपलब्ध होने की संभावना नहीं हैं।	आयु : नहीं अर्हता : हाँ	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष

10	11	12	13
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	प्रोन्नति : ऐसे कंप्यूटर और उच्च श्रेणी लिपिक जिन्होने उस ग्रेड मे पाँच वर्ष की नियमित सेवा की है और जो स्तंभ *7* मे विनिर्दिष्ट अर्हताए रखते हैं ।	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति और समपुष्टि पर विचार करने के लिए)। 1. निदेशक, सुपारी और मसाला विकास निदेशालय – अध्यक्ष 2. उपनिदेशक, (प्रशासन का प्रभारी), सुपारी और मसाला विकास निदेशालय – सदस्य 3. स्थानीय रूप से अवस्थित केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य कार्यालय का समूह 'क' अधिकारी - सदस्य	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7	8	9
कंप्यूटर	*01 (2014) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1, 5,200-20,200 + वेतन बैंड 2,400 रु.	लागू नहीं होता	25 वर्ष तक (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवको के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती हैं) टिप्पण : आयु सीमा अवधारित करने के लिए	अनिवार्य: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविधालय से गणित या सांख्यिकी या वाणिज्य या अर्थशास्त्र या गणित के एक विषय के साथ विज्ञान में डिग्री या समतुल्य। वांछनीय: संगणना कार्य का अनुभव टिप्पण: 1. अर्हताए कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा मे शिथिल की जा सकती हैं। 2. अनुभव संबंधी अर्हताएं कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियो और अनुसूचित जनजातियो के अभ्यर्थियों	लागू नहीं होता	2 वर्ष

					निर्णायक तारीख वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नियत की जाए।	की दशा मे तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग की यह राय हैं कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायो के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या मे उपलब्ध होने की संभावना नहीं हैं।		

10	11	12	13
सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (संपुस्ति पर विचार करने के लिए) 1. निदेशक, सुपारी एवं मसाला विकास निदेशालय - अध्यक्ष 2. उप निदेशक, (प्रशासन का प्रभारी) सुपारी एवं मसाला विकास निदेशालय - सदस्य 3. स्थानीय रूप से अवस्थित केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य कार्यालय का समूह 'क' अधिकारी - सदस्य	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7	8	9
कलाकार फोटोग्राफर	01* (2014) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1, (5200 -20,200) रू. + ग्रेड वेतन 2800 रु.	लागू नहीं होता	25 वर्ष तक (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवको के लिए चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती हैं) टिप्पण: आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नियत की जाए।	(I) दसवीं पास या समतुल्य (II) किसी कला विधालय या कला और शिल्प विधालय से प्रमाण पत्र (III) फोटोग्राफी में प्रवीणता, जिसके अंतर्गत डेवलपिंग, प्रिंटिंग एनलार्जिंग आदि है। (IV) कमर्शियल आर्ट की सुदृढ़ जानकारी तथा अंक ड्राइंग तथा मॉडर्न डिज़ाइन तैयार करने का अनुभव ; और (V) कार्टोग्राफी और ड्राफ्ट्समैनशिप में प्रवीणता।	लागू नहीं होता	2 वर्ष

10	11	12	13
सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (संपुष्टि पर विचार करने के लिए) 1. निदेशक, सुपारी और मसाला विकास निदेशालय – अध्यक्ष 2. उपनिदेशक, (प्रशासन का प्रभारी), सुपारी और मसाला विकास निदेशालय – सदस्य 3. स्थानीय रूप से अवस्थित केन्द्रीय सरकार के अन्य कार्यालय का समूह 'क' अधिकारी - सदस्य	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7	8	9
आशुलिपिक ग्रेड-II	3* (2014) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1, (5200 -20,200) रू. + ग्रेड वेतन 2400 रु.	लागू नहीं होता	18-27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवको के लिए चालीस वर्ष	(I) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविधालय से 12वीं कक्षा या समतुल्य अर्हता (II) कौशल परीक्षा मानक श्रुतलेख : 80 शब्द	लागू नहीं होता	दो वर्ष

					तक शिथिल की जा सकती हैं) टिप्पण : आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नियत की जाए।	प्रति मिनट की गति से 10 मिनट ट्रांसक्रिप्शन : 65 मिनट (अग्रेजी) और 75 शब्द (हिन्दी) (मैंन्यूअल टाईपराइटर पर) या 50 मिनट (अंग्रेजी) 65 मिनट (हिन्दी) (कंप्यूटर पर)		

10	11	12	13
कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा। टिप्पण : पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किसी अन्य परिस्थिति में एक वर्ष या अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियाँ, केन्द्रीय सरकार के ऐसे कर्मचारियों में से प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा भरी जा सकेगी जो सदृश पद धारण किए जाने वाले व्यकियों के लिए स्तंभ 7 मे विहित अर्हता रखते हैं ।	लागू नहीं होता ।	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (संपुष्टि पर विचार करने के लिए) | 1. निदेशक, सुपारी और मसाला विकास निदेशालय – अध्यक्ष 2. उपनिदेशक, (प्रशासन का प्रभारी), सुपारी और मसाला विकास निदेशालय – सदस्य 3. स्थानीय रूप से अवस्थित केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य कार्यालय का समूह 'क' अधिकारी - सदस्य	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7	8	9
उच्च श्रेणी लिपिक	4* (2014) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है) ।	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1 (5,200 - 20,200 रू). + ग्रेड वेतन 2400 रु.	अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

10	11	12	13
प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति	प्रोन्नति: ऐसे अवर श्रेणी लिपिक जिन्होने संबंधित ग्रेड में आठ वर्ष की नियमित सेवा की है। प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी (क). (I) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हैं ; या (II). जिन्होने वेतन बैंड -1 में 5,200-20,200 धन ग्रेड वेतन 1900 रु. या समतुल्य में मूल काडर या विभाग में नियुक्ति के पश्चात आठ वर्ष की नियमित सेवा की है। (ख्) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविधालय से 12वीं कक्षा या समतुल्य पास और जो कम्प्यूटर पर अंग्रेजी मे 35 शब्द प्रति मिनट तथा हिन्दी मे 30 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति रखता है।	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार के लिए)| 1. निदेशक, सुपारी और मसाला विकास निदेशालय – अध्यक्ष 2. उपनिदेशक, (प्रशासन का प्रभारी), सुपारी और मसाला विकास निदेशालय – सदस्य 3. स्थानीय रूप से अवस्थित केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य कार्यालय का समूह 'क' अधिकारी - सदस्य	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7	8	9
अवर	6*	सामान्य	वेतन बैंड-1	अचयन	18 से 27 वर्ष के	(I) किसी मान्यता	हां – स्तंभ 10 में	दो वर्ष

श्रेणी लिपिक	(2014) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित अननुसचिवीय	(5,200 - 20,200 रू.) + ग्रेड वेतन 1900 रू.		बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवको के लिए चालीस वर्ष तक शिथिल की सकती हैं) टिप्पण : आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नियत की जाए । (जहां भर्ती कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से नहीं की जा सकती हैं वहां आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख आवेदन प्राप्त करने के लिए अंतिम तारीख होगी।	प्राप्त बोर्ड या विश्वविधालय से 12वीं कक्षा या समतुल्य पास । (II) मैन्यूअल टाईपराइटर पर अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट या हिन्दी में 25 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति । कंप्यूटर पर अंग्रेजी मे 35 श.प्र.मि. या हिन्दी में 30 श.प्र.मि. की टंकण गति (35 श.प्र.मि. और 30 श.प्र.मि. के तत्समान प्रत्येक शब्द के लिए 5 की – डिप्रेशन की औसत पर 10500 केडीपीएच/ 9000 केडीपीएच)	उपदर्शित परिणाम तक टिप्पण : नियमित रूप से नियुक्त तत्कालीन समूह 'घ' कर्मचारी जो कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग, सुपारी और मसाला विकास निदेशालय, (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2014 के प्रारंभ की तारीख को 10वीं कक्षा उत्तीर्ण है, पर अवर श्रेणी लिपिक के रूप मे पदोन्नति पर विचार किया जाऐगा ।	

10	11	12	13
(I) 85% कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा (II) 10 % रिक्तियाँ 1800 रू. ग्रेड वेतन वाले समूह 'ग' कर्मचारीवृंद में से भरी जाएंगी और जो 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य योग्यता रखते हैं और जिन्होने विभागीय अर्हक परीक्षा के आधार पर तीन वर्ष की नियमित सेवा की है। परीक्षा की पात्रता के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष (अनुसूचित जतियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए 50 वर्ष) है। टिप्पण : यदि खण्ड (II) के अधीन रिक्तियों की संख्या से अधिक ऐसे कर्मचारी परीक्षा मे उत्तीण होते हैं तो ऐसे अधिक कर्मचारियों पर पश्चातवर्ती वर्षो मे उद्भूत होने वाली रिक्तियों पर विचार किया जाएगा ताकि पूर्ववर्ती परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले कर्मचारियों पर उनसे पश्चातवर्ती परीक्षा मे उत्तीर्ण होने वाले कर्मचारियों से पूर्व विचार किया जा सके। (III) 5 प्रतिशत रिक्तियाँ ज्येष्ठता-सह-उपयुक्तता के आधार पर समूह 'ग' कर्मचारियों में से भरी जाएंगी जिन्होने 1800 रु. ग्रेड वेतन में तीन वर्ष की नियमित सेवा की है।	जैसा की स्तंभ 10 में कथित है	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति और संपुष्टि पर विचार करने के लिए)| 1. निदेशक, सुपारी और मसाला विकास निदेशालय – अध्यक्ष 2. उपनिदेशक, (प्रशासन का प्रभारी), सुपारी और मसाला विकास निदेशालय – सदस्य 3. स्थानीय रूप से अवस्थित केन्द्रीय सरकार के अन्य कार्यालय का समूह 'क' अधिकारी - सदस्य	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6
स्टाफ कार ड्राईवर (साधारण श्रेणी)	1* (2014) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है) ।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैन्ड-1 (5200-20200 रू.) + ग्रेड वेतन 1900 रू.	लागू नहीं होता	18-25 वर्ष के बीच (सरकारी सेवकों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) । टिप्पण: आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड,

					हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप अथवा लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)। टिप्पण-2: रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली नियुक्ति की दशा में, आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी, जिस पर रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है ।

7	8	9	10
अनिवार्य: (i) 10 वीं कक्षा उत्तीर्ण । (ii) मोटर कारों और भारी वाहनों के चालन के लिए वैध चालन अनुज्ञप्ति धारक (iii) मोटर तंत्र की जानकारी (अभ्यर्थी वाहन के गौण दोषो को दूर करने में सक्षम होना चाहिए) । (iv) मोटर कार चलाने का कम से कम तीन वर्षो का अनुभव। होम गार्ड या सिविल स्वंय सेवक की सेवा का तीन वर्ष का अनुभव। टिप्पण: अनुभव संबंधी अर्हता सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियो और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यार्थियो की दशा मे तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय हैं कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियो को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायो के अभ्यार्थियो के पर्याप्त संख्या मे उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।	आयु: नहीं शैक्षिक अर्हता : हां टिप्पण : नियमित रूप से नियुक्त तत्कालीन समूह 'घ' कर्मचारी जो कृषि मंत्रालय, कृषि ओर सहकारिता विभाग, सुपारी और मसाला विकास निदेशालय (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2014 के प्रारभ की तारीख को 10वी कक्षा उत्तीर्ण हैं पर स्टाफ कार चालक के रूप मे पदोन्नति पर विचार किया जायेगा । टिप्पण: सुपारी और मसाला विकास निदेशालय, कालीकट के विधमान कर्मचारी जो इन नियमो के अधिसूचना की तारीख को सीधे पोषक प्रवर्ग मे स्टाफ कार चालक के पद पर प्रोन्नति का इंतज़ार कर रहे हैं, को पूर्वोक्त वर्णित खंड के उपबंधों से छूट दी जा सकती हैं।	दो वर्ष	प्रतिनियुक्ति या आमेलन जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा। भूतपूर्व सैनिकों के लिए प्रतिनियुक्ति या आमेलन

11	12	13
प्रतिनियुक्ति या आमेलन: सुपारी और मसाला विकास निदेशालय, कालीकट के वेतन बैंड-1 मे 5200-20,200 रू. में ग्रेड वेतन 1800 रुपए में नियमित सवार हरकरा (समूह 'ग') और समूह 'ग' कर्मचरियों में से जो मोटर कारों के चालन के लिए मोटर कारों को चलाने की क्षमता का निर्धारण करने के लिए चालन परीक्षण के आधार पर वैध चालन अनुज्ञप्ति रखते हैं जिसके न हो सकने पर केन्द्रीय सरकार के अन्य मंत्रालयों के वेतन बैंड -1 मे 5200-20,200 रुपए मे ग्रेड वेतन 1800 रुपए में नियमित आधार पर सवार हरकारा का पद धारण करने वाले या समूह 'ग' कर्मचारियो में से जो स्तंभ (7) में वर्णित अपेक्षित अर्हता रखते हैं। **सशस्त्र बल के कर्मिकों की प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन :** सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के सबंध मे भी विचार किया जायेगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताए हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निर्रबंधनों पर रखा जायेगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना हैं; तत्पश्चात उन्हे पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता हैं। टिप्पण: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/ विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि हैं, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति या आमेलन पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होंगी।	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (संपुष्टि पर विचार करने के लिए)| 1. निदेशक, सुपारी और मसाला विकास निदेशालय – अध्यक्ष 2. उपनिदेशक, (प्रशासन का प्रभारी), सुपारी और मसाला विकास निदेशालय – सदस्य 3. स्थानीय रूप से अवस्थित केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य कार्यालय से समूह 'क' अधिकारी - सदस्य	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6

बहुकार्य कर्मचारीवृंद	6* (2014) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैन्ड-1 (5200-20200 रु.) + ग्रेड वेतन 1800 रु.	लागू नहीं होता	18-25 वर्ष के बीच (सरकारी सेवकों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है । टिप्पण: आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अन्तिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप अथवा लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)। (रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली नियुक्ति की दशा में, आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी, जिस पर रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है ।

7	8	9	10
(i) 10वीं कक्षा या समतुल्य उत्तीर्ण । वांछनीय : (क) बुक बाईन्डिंग में आईटीआई उत्तीर्ण । (ख) वैध चालन अनुज्ञप्तिधारी।	लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा

11	12	13
लागू नहीं होता	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (संपुष्टि पर विचार करने के लिए) 1. निदेशक, सुपारी और मसाला विकास निदेशालय – अध्यक्ष 2. उपनिदेशक, (प्रशासन का प्रभारी), सुपारी और मसाला विकास निदेशालय – सदस्य 3. स्थानीय रूप से अवधारित केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य कार्यालय का समूह 'क' अधिकारी – सदस्य	लागू नहीं होता

[फा. सं. 20-10/2012-बाग.IV]

एम. तमिल सेल्वन, अपर आयुक्त (बागवानी)

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Cooperation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd December, 2014

G.S.R. 858(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Directorate of Arecanut and Spices Development, (Group 'C' and 'D' posts) Recruitment Rules, 1968, in so far as they relate to the posts of Technical Assistant, Marketing Assistant, Statistical Assistant, Publicity Assistant, Computer, Artist Photographer, Junior Stenographer, Upper Division Clerk, Lower Division Clerk, Driver, Gestetner Operator, Daftary, Peon, Watchman and Mali, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the Group 'C' posts in the Supari Aur Masala Vikas Nideshalaya (Directorate of Arecanut and Spices Development), namely:—

1. **Short title and commencement**.- (1) These rules may be called the Ministry of Agriculture, Department of Agriculture & Cooperation, Supari Aur Masala Vikas Nideshalaya (Directorate of Arecanut and Spices Development), Group 'C' posts Recruitment Rules, 2014.

   (2)They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application**.– These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification and scale of pay or pay band and grade pay, etc**.– The number of said posts, their classification and the scales of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age limit and other qualifications.**– The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. **Disqualifications**.– No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax**.– Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules, with respect of any class or category of persons.

7. **Saving**.– Nothing in these rules shall affect reservations, relaxations of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post.	**Number of Post.**	**Classification.**	**Pay band and Grade Pay or pay scale.**	**Whether selection or non selection post.**	**Age limit for Direct Recruits.**	**Educational and other qualifications required for Direct Recruits.**
1	2	3	4	5	6	7
Technical Assistant.	03* (2014) *(Subject to variation dependent on the workload).	General Central Service. Group 'C' Non-Gazetted (Non-Ministerial).	Pay Band – 1 (Rs.5,200 - 20,200) + Grade Pay Rs.2,800	Non selection.	Upto 25 years of age (relaxable for government servants upto 40 years in accordance with instructions or orders issued by the Central Government). **Note**: The crucial date of determining the age limit shall be fixed by the Staff Selection Commission.	**Essential** : Degree in Agriculture or Horticulture from a recognised University or equivalent. **Desirable** : Three years experience in noting drafting, etc., in technical matters preferably relating to agriculture crops. **Note**:1. Qualifications are relaxable at the discretion of Staff Selection Commission in the case of candidates otherwise well qualified. 2. The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the post reserved for them.

Whether age and Educational Qualifications prescribed for the Direct Recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by Direct Recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion/ deputation/ absorption grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commissi on to be consulted in making recruitment.
8	9	10	11	12	13
No.	Two years for direct recruits.	(i) 50 % by direct recruitment. (ii) 50 % by promotion failing which by deputation.	Promotion : UDCs or Stenographer Grade - II with five years regular service in the respective grade. Deputation : Officers under the Central Government- (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; OR (ii) with five years service in the grade rendered after appointment on a regular basis in the scale of pay of PB-1Rs.5200-20200 with grade pay 2400/- or equivalent in the parent cadre or department. (b) Possessing a degree in Horticulture or Agriculture from a recognised University or equivalent.	Group 'C' Departmental Promotion Committee (considering for promotion and confirmation) : 1. Director, Directorate of Arecanut and Spices Development -Chairman. 2. Deputy Director, (In charge of Admin.) Directorate of Arecanut and Spices Development - Member. 3. Group 'A' Officer, from other Central Government Office situated locally - Member.	Not applicable.

1	2	3	4	5	6	7
Marketing Assistant.	03* (2014) *(Subject to variation dependent on the workload).	General Central Service. Group 'C' Non-Gazetted (Non-Ministerial).	Pay Band – 1 (Rs.5,200 - 20,200) + Grade Pay Rs.2,800	Non selection.	Not applicable.	Not applicable.

8	9	10	11	12	13
Not applicable.	Not applicable.	Promotion failing which by deputation.	**Promotion**: UDCs with five years regular service in the grade. **Deputation**: Officers under the Central Government – (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; OR (ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay of PB-1 Rs.5200-20200 with grade pay Rs. 2400/- or equivalent in the parent cadre	**Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion**) : 1. Director, Directorate of Arecanut and Spices Development - Chairman. 2. Deputy Director, (In charge of Admin) Directorate of	Not applicable.

			or department; and (b) Possessing a degree in Horticulture or Agriculture from a recognised University or equivalent.	Arecanut and Spices Development - Member. 3. Group 'A' Officer, from other Central Government Office situated locally - Member.	

1	2	3	4	5	6	7
Statistical Assistant.	01* (2014) *(Subject to variation dependent on the workload).	General Central Service. Group 'C' Non-Gazetted (Non-Ministerial).	Pay Band – 1 (Rs. 5,200 - 20,200) + Grade Pay Rs.2,800	Non selection.	Upto 25 years of age (relaxable for government servants upto 40 years in accordance with instructions or orders issued by the Central Government). **Note**: The crucial date of determining the age limit shall be fixed by the Staff Selection Commission.	**Essential** : Degree in Mathematics or Statistics or Economics from a recognised University or equivalent. **Desirable:** Three years experience in dealing with collection, compilation and analysis of statistical data. **Note**:1. Qualifications are relaxable at the discretion of Staff Selection Commission in the case of candidates otherwise well qualified. 2. The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the post reserved for them.

8	9	10	11	12	13
Age: No. Qualification: Yes.	Two years for direct recruits.	By promotion failing which by direct recruitment.	**Promotion-** Computers and UDCs with five years regular service in the grade having qualifications as mentioned in col. 7.	**Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion and confirmation) :** 1. Director, Directorate of Arecanut and Spices Development- Chairman. 2. Deputy Director, (In charge of Admin) Directorate of Arecanut and Spices Development- Member. 3. Group 'A' Officer, from other Central Government Office situated locally - Member.	Not applicable.

1	2	3	4	5	6	7
Computer.	01* (2014) *(Subject to variation dependent on the workload).	General Central Service. Group 'C' Non-Gazetted (Non-Ministerial).	Pay Band – 1 (Rs.5,200 - 20,200) + Grade Pay Rs.2,400	Not applicable.	Upto 25 years of age (relaxable for government servants upto 40 years in accordance with instructions or orders issued by the Central Government). **Note**: The crucial	**Essential** : Degree in Mathematics or Statistics or Commerce or Economics or Science with Mathematics as one of the subject from a recognised University or equivalent. **Desirable**: Experience in Computation work.

					date of determining the age limit shall be as fixed by the Staff Selection Commission.	**Note**:1. Qualifications are relaxable at the discretion of Staff Selection Commission in the case of candidates otherwise well qualified. 2. The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the post reserved for them.

8	9	10	11	12	13
Not applicable.	Two years.	By direct recruitment.	Not applicable.	**Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation)** : 1.Director, Directorate of Arecanut and Spices Development- Chairman. 2. Deputy Director, (In charge of Admin) Directorate of Arecanut and Spices Development- Member. 3. Group 'A' Officer, from other Central Government Office situated locally- Member.	Not applicable.

1	2	3	4	5	6	7
Artist Photographer.	01* (2014) *(Subject to variation dependent on the workload).	General Central Service. Group 'C' Non-Gazetted (Non-Ministerial).	Pay Band – 1 (Rs.5,200 - 20,200) + Grade Pay Rs.2,800	Not applicable.	Upto 25 years of age (relaxable for government servants upto 40 years in accordance with instructions or orders issued by the Central Government). **Note**: In case of recruitment through employment exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the employment exchange is asked to submit the names.	(i) 10th Pass or equivalent. (ii) Certificate of a school of Art or an Institution of Art and Craft. (iii) Proficiency in Photography including developing, printing, enlarging, etc. (iv) Sound knowledge of commercial art and experience in figure drawing and preparation of modern design; and (v) Proficiency in cartography and draftsmanship.

8	9	10	11	12	13
Not applicable.	Two years.	By direct recruitment.	Not applicable.	**Departmental Promotion Committee (for considering confirmation)** : 1. Director, Directorate of Arecanut and Spices	Not applicable.

				Development, Calicut - Chairman. 2. Group 'A' Officer, (Incharge of Admin), Directorate of Arecanut and Spices Development, Calicut - Member. 3. Group 'A' Officer, from other Central Government office situated locally - Member.	

1	2	3	4	5	6	7
Stenographer Grade II.	03* (2014) *(Subject to variation dependent on the workload).	General Central Service. Group 'C' Non-Gazetted (Ministerial).	Pay Band – 1 (Rs.5,200 - 20,200) + Grade Pay Rs.2,400	Not applicable.	Between 18 and 27 years of age. (relaxable for government servants upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.) **Note:** The crucial date for determining the age limit shall be as fixed by the Staff Selection Commission.	(i) 12th Class or equivalent qualification from a recognised Board or University. (ii) Skill test norms Dictation: 10 minutes @ 80 wpm Transcription : 65 minutes (English) 75 minutes (Hindi) (On manual Typewriter). OR 50 minutes (English), 65 minutes (Hindi) (On Computer).

8	9	10	11	12	13
Not applicable.	Two years.	Direct recruitment through Staff Selection Commission. **Note**: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation from the officials of the Central Government holding analogous posts on regular basis and possessing the qualifications prescribed for direct recruits at col. 7.	Not applicable.	**Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation)** : 1. Director, Directorate of Arecanut and Spices Development – Chairman. 2. Group 'A' Officer, (In charge of Admin), Directorate of Arecanut and Spices Development - Member. 3. Group 'A' Officer, from other Central Government Office situated locally – Member.	Not applicable.

1	2	3	4	5	6	7
Upper Division Clerk.	04* (2014) *(Subject to variation dependent on the workload).	General Central Service. Group 'C' Non-Gazetted (Ministerial).	Pay Band – 1 (Rs.5,200 - 20,200) + Grade Pay Rs.2,400	Non selection.	Not applicable.	Not applicable.

8	9	10	11	12	13
Not applicable.	Not applicable.	Promotion failing which by deputation.	**Promotion** : Lower Division Clerks with eight years service in the regular grade.	**Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering**	Not applicable.

			Deputation : Officers under the Central Government – (a) (i) holding analogous post on regular basis; (ii) with eight years regular service in the grade of Rs.5,200-20,200 with grade pay of Rs.1,900/- or equivalent; and (b) Having 12th Pass or equivalent qualification from a recognised Board or University and having a typing speed of 35 wpm in English or 30 wpm in Hindi on Computer.	**promotion)**: 1. Director, Directorate of Arecanut and Spices Development - Chairman. 2. Group A Officer, (In charge of Admin), Directorate of Arecanut and Spices Development - Member. 3. Group A Officer, from other Central Government Office situated locally - Member.	

1	2	3	4	5	6	7
Lower Division Clerk.	06* (2014) *(Subject to variation dependent on the workload).	General Central Service. Group 'C' Non-Gazetted (Ministerial).	Pay Band – 1 (Rs.5,200 - 20,200) + Grade Pay Rs.1,900	Non selection.	Between 18 and 27 years of age. (relaxable for government servants upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note**: The crucial date of determining the age limit shall be as fixed by the Staff Selection Commission. (Where recruitment is not through Staff Selection Commission, crucial date for determining the age limit shall be the last date for receipt of application).	(i) 12th Class Pass or equivalent qualification from a recognised Board or University. (ii) A typing speed of 30 w.p.m. in English or 25 w.p.m. in Hindi on manual typewriter. Or A typing speed of 35 wpm in English or 30 wpm in Hindi on computer. (35 wpm and 30 wpm correspond to 10500 KDPH/ 9000 KDPH on an average of 5 key depressions for each word).

8	9	10	11	12	13
Yes, to the extent indicated in Col. 10. **Note** : Regularly appointed erstwhile Group 'D' employees who are 10th pass on the date of commencement of Ministry of Agriculture, Department of Agriculture & Cooperation Supari Aur Masala Vikas Nideshalaya (Directorate of Arecanut & Spices Development), Group 'C' posts Recruitment Rules, 2014 shall be considered for promotion as LDCs.	Two years.	(i) 85% by direct recruitment through Staff Selection Commission. (ii) 10% of the vacancies shall be filled from amongst the Group C staff in the grade pay of Rs.1,800/- and who possess 12th Pass or equivalent qualification and have rendered three years regular service in the grade on the basis of departmental qualifying examination. The maximum age limit for eligibility for examination is 45 years (50 years of age for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates). **Note**: If more of such employees than the number of vacancies available under Clause (ii) qualified at the examination, such excess number of	As stated in col. 10.	**Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation or Promotion)** : 1. Director, Directorate of Arecanut and Spices Development, Calicut - Chairman. 2. Group 'A' Officer, (In charge of Admin), Directorate of Arecanut and Spices Development, Calicut - Member. 3. Group 'A' Officer, from other Central Govt Office situated locally - Member.	Not applicable.

		employees shall be considered for filling the vacancies arising in the subsequent years so that the employees qualifying at an earlier examination are considered before those who qualify at a later examination. (iii) 5% of the vacancies shall be filled on seniority-cum- fitness basis from Group 'C' employees who have three years regular service in posts with the grade pay of Rs.1,800/-.			

1	2	3	4	5	6	7
Staff Car Driver (ordinary grade).	01* (2014) *(Subject to variation dependent on the workload).	General Central Service. Group 'C' Non-Gazetted (Non-Ministerial).	Pay Band – 1 (Rs.5,200 - 20,200) + Grade Pay Rs.1,900	Not applicable.	18-25 years (relaxable for government servants upto the age of 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note 1:** The crucial date of determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu & Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). **Note 2:** In case of recruitment through employment exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the employment exchange is asked to submit the names.	Essential : i) Pass in 10th standard; ii) Possession of a valid driving license for motor cars and heavy vehicles; iii) Knowledge of motor mechanism (The candidate should be able to remove minor defects in vehicles); iv) Experience of driving a motor car for at least three years; and v) Three years' service as home Guard or Civil volunteers. Note : The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from the communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the post reserved for them.

8	9	10	11	12	13
Age: No. EQ: Yes. Note : Regularly appointed erstwhile Group 'D' employees who are 10th pass on the date of commencement of Ministry of Agriculture, Department of Agriculture & Cooperation, Supari Aur Masala Vikas Nideshalaya (Directorate of Arecanut & Spices Development), Group 'C' posts Recruitment Rules, 2014 shall be considered for promotion as Staff Car Driver. Note: The existing employees of Directorate of Arecanut and Spices	Two years.	Deputation or absorption failing which by direct recruitment. For Armed Forces Personnel: Deputation or re-employment.	**Deputation or Absorption :** From amongst the regular Dispatch Rider (Group C) and Group C employees in Pay Band 1 Rs. 5200-20200 Grade Pay Rs. 1800 in the Directorate of Arecanut and Spices Development, Calicut, who possess valid Driving License for Motor Cars on the basis of a Driving Test to assess the competence to drive Motor Cars failing which from officials holding the post of Dispatch Rider on regular basis or regular Group 'C' employees in Pay Band 1 Rs. 5200-20200 Grade Pay Rs. 1800 in other Ministries of the Central Government who fulfill the necessary qualifications as mentioned in col. 7. **Deputation or re-employment for Armed Forces Personnel:** The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such persons would be given deputation terms up to	**Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation cases):** 1. Director, Directorate of Arecanut and Spices Development, Calicut - Chairman. 2. Group 'A' Officer, (Incharge of Admin), Directorate of Arecanut and Spices Development, Calicut - Member.	Not applicable.

Development, Calicut, holding the regular Group 'D' posts on the date of notification of these rules and awaiting promotion in the direct feeder line of promotion to the post of Staff Car Driver may be exempted from the provisions of above mentioned clause.			the date on which they are due for release from the Armed Forces, thereafter they may be continued on re-employment. Note: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation or absorption shall be 'Not exceeding 56 years' as on the closing date of receipt of applications.	3. Group 'A' Officer, from other Central Government Office situated locally - Member.	

1	2	3	4	5	6	7
Multi Tasking Staff.	06* (2014) *(Subject to variation dependent on the workload).	General Central Service. Group 'C' Non-Gazetted (Non-Ministerial)	Pay Band – 1 (Rs.5,200 - 20,200) + Grade Pay Rs.1,800	Not applicable.	Between 18 and 25 years of age (relaxable for government servants upto the age of 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note**: The crucial date of determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu & Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). (In case of recruitment made through the Employment Exchange the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names).	Matriculation or equivalent pass. Desirable : a) ITI Pass in book binding. b) Possession of valid driving license.

8	9	10	11	12	13
Not applicable.	Two years.	By direct recruitment.	Not applicable.	**Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation)** : 1. Director, Directorate of Arecanut and Spices Development, Calicut - Chairman. 2. Group 'A' Officer, (In charge of Admin), Directorate of Arecanut and Spices Development, Calicut - Member. 3. Group 'A' Officer, from other Central Govt Office situated locally - Member.	Not applicable.

[F.No.20-10/2012-Hort.IV]

M. TAMIL SELVA, Additional Commissioner (Hort.)

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054